वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 57 वीं बैठक दिनांक 02 जनवरी 2018 को मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:–

1.	प्रो0 अशोक शर्मा कुलपति, वमखुविवि,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
3.	प्रो0 एच0बी0 नंदवाना वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
4.	प्रो0 दिनेश गुप्ता वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
5.	प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा। एवं (परीक्षा नियंत्रक के रूप में विशेष आमंत्रित)	सदस्य
6.	डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र,वमखुविवि,अजमेर।	सदस्य
7.	डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
8.	डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
9.	डॉ0 (श्रीमती) क्षमता चौधरी सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
10.	डॉ0 (श्रीमती) मीता शर्मा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
11.	डॉ0 श्रीमती अनुराधा दुबे सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
12.	डॉ0 कपिल गौतम सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
13.	डा0 आलोक चौहान सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
14.	श्री सुशील राजपुरोहित सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
15.	श्री संदीप हुड्डा सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
16.	श्री रवि गुप्ता सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
17.	श्री नीरज अरोड़ा सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य

18.	डा0 नित्यानंद शर्मा वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
19.	श्री मुरलीधर प्रतिहार कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगणों का स्वागत एवं नववर्ष की शुभकामनाऐं देते हुए पूर्व बैठक के बाद कार्यकाल पूर्ण करने वाले चार सदस्यों प्रो0 देबल सिंह के. राय, प्रो0 एच0पी0शुक्ला, प्रो0 अनिल शुक्ला एवं प्रो0 पी0एस0 वर्मा द्वारा विश्वविद्यालय को विद्या परिषद का सदस्य रहते हुए दिए गए सहयोग के लिए सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात बैठक विधिवत रूप से प्रारंभ की गई एवं बिन्दुवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए:—

57/01 विद्या परिषद की 55वीं एवं 56वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न विद्या परिषद की 55वीं एवं 56वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों को अनुमोदन किया गया।

57/02 विद्या परिषद की 55वीं एवं 56वीं बैठकों के निर्णयों के अनुपालना प्रतिवेदन पुष्टि का प्रस्ताव।

निर्णय संख्या 55/11 की अनुपालना में ग्रेस पास के अनुसार उपाधियों का वितरण दीक्षांत समारोह के बाद किया जाएगा के स्थान पर "ग्रेस पास के अनुसार उपाधियों का वितरण दीक्षांत समारोह के दोरान कर दिया गया है" के संशोधन के साथ अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

57/03 विद्या परिषद में तीन शिक्षाविद्वो के मनोनयन का प्रस्ताव।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 में विद्या परिषद गठन सम्बन्धी स्टेच्युट्स 08 (1) की उपधारा (एफ) के तहत मनोनयन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

57/04 बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इनफोरमेंशन साइंस (BLIS) कार्यक्रम की कार्यक्रम संशोधन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

बैठक में कार्यक्रम के कोर्स केरिकुलम एवं प्रवेश योग्यता के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा पूर्व छात्रों के स्टेडी मेटेरियल एवं परीक्षा प्रश्न पत्रों के सम्बन्ध में व्यवस्था में आने वाली संभावित कठिनाई के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए, जिस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संयोजक प्रो.एच.बी नंदवाना ने विस्तार से सदन को अवगत करवाते हुए बताया कि प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की ईकाईयों में कोई व्यापक परिर्वतन नहीं है, फिर भी प्रश्न पत्र मोडरेशन के समय इनका ध्यान रखा जाएगा ताकि पूर्व विद्यार्थियों को कोई समस्या ना आए। उक्त जानकारी के बाद कार्यक्रम संशोधन समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

57/05 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पीएच.डी. एवं एम0 फिल0 के सम्बन्ध में जारी 2016 के अध्यादेश के सम्बन्ध में विद्या परिषद की 55वीं बैठक के निर्णय के क्रम में गठित समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

गठित समिति के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में डॉ. क्षमता चौधरी ने सदन को विस्तार से अवगत कराया गया, तदुपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों को निर्देश प्रदान किये गये कि इस संबंध में यदि कोई सुझाव हो तो डॉ. क्षमता चौधरी को अवगत करावें। उक्त कार्यवाही के उपरांत समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

57/06 जुलाई 2009 से मई 2016 में शोध कार्य हेतु पंजीकृत छात्रों को उपाधि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में शोध विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को निम्नानुसाार अनुमोदित किया गया :–

" दिनांक 11 जुलाई 2009 से 05 मई 2016 तक की अ वधि के पीएच.डी. शोध कार्य में पंजीकृत विद्यार्थियों को यु.जी.सी. 2009 रेग्युलेश की अधिसूचना में ही पंजीकृत माना जाएगा।

57/07 शोध बोर्ड में डा0 अनुरोध गोधा को विद्या परिषद द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में सदस्य बनाए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 5538 दिनांक 01 जून 2017 सूचनार्थ।

सदन द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।

57/08 शोध ग्रंथ को शोध गंगा पर अपलोड करने हेतु इफ्लिबनेट के साथ हुए एम0ओ0यू0 की कार्यवाही सूचनार्थ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 दिनेश गुप्ता द्वारा सदन को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई, तदुपरांत सदन द्वारा शोध गंगा के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही को नोट किया गया।

57/09 नवीन कार्यक्रमों एवं पूर्व स्थगित कार्यक्रमों को प्रारंभ करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

नवीन कार्यक्रम प्रारंभ करने एवं पूर्व स्थगित कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में जिन कार्यक्रमों को पूर्व में स्थगित किया गया था उन्हें पुनः प्रारंभ करने के सम्बन्ध में जारी किए गए आादेशों की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया:–

1. पी.जी. डिप्लोमा इन न्यू मिडिया (PGDNM)
2. डिप्लोमा इन मॉस कम्यूनिकेशन (DMC)
3. पी.जी.डिप्लोमा इन साइबर लॉ
4. पी.जी.डिप्लोमा इन आई.पी.आर.
5. सर्टिफिकिट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ
6. सर्टिफिकिट इन आयुर्वेद

नव प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मनोविज्ञान में अतिरिक्त विषय में स्नातक कार्यक्रम BAA(PSY) को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा अन्य निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावित कार्यक्रम अतिविशिष्ट प्रकृति के है, इन्हें प्रारंभ करने से पूर्व इनमें प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या की फिजिबिलिटी के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाना चाहिए, इस क्रम में प्रो0 दिनेश गुप्ता ने सदन को अवगत करवाया कि दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने नवीन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के सम्बन्ध दिशा निर्देश जारी किए हुए है, अतः नवीन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के प्रस्ताव इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई ना रहे।
उक्त चर्चा उपरांत सम्बन्धित विषय संयोजकों द्वारा सदन को अवगत करवाया कि प्रस्तावित कार्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में छात्रों के प्रवेश लेने की संभावना है, एवं कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व दूरस्थ शिक्षा परिषद की गाइड लाइन का अध्ययन कर इनकी पालना की जाएगी, उपरोक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई:–

1. सहायक ड्राफ्टसमेन में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा
2. सहायक सर्वेयर में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा
3. अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
4. पोस्ट ग्रेज्युएट इन एप्लाईड एक्वाकलचर

कार्यक्रम संख्या 01 व 02 के सम्बन्ध में यह भी निर्णय किया गया कि राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए कि सहायक ड्राफ्टसमेन एवं सहायक सर्वेयर के पदों की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता में वमखुविवि, के प्रमाण पत्र को भी सम्मिलित किया जाए।

57/10 पूर्व संचालित कार्यक्रमों को स्थगित/बंद किए जाने के सम्बन्ध में निदेशक (संकाय) एवं निदेशक सतत् शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी विभिन्न आदेश सूचनार्थ ।

छात्र संख्या कम होने के कारण से निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्थगित करने अथवा स्थगित कार्यक्रमों को स्थाई रूप से बंद करने के संबध में जारी आदेशों की पुष्टि की गई:–

1. Certificate Programme in Accommodation Operations (CPAO)
2. Certificate Programme in Food & Beverage Operations (CFBO)
3. "डिजिटल पुस्तकालय में प्रमाण पत्र" कार्यक्रम
4. एल.एल.एम.–बी
5. डी.जे.एम.सी.
6. Certificate Programme in Applied Nutrition (CPAN)
7. Certificate Programme in Aids and Family Education (CAFÉ)
8- PGDVES
9- CVES

57/11 विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को पुनः अंकतालिका प्रेषित करने के लिए शुल्क निर्धारण करने का प्रस्ताव।
विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को पुनः अंकतालिका प्रेषित करने के लिए राशि 50/– रूपये शुल्क का निर्धारण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इसे वित्त समिति से अनुमोदित करवाए जाने का निर्णय किया गया।

57/12 विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों/नियोक्ता को दिये जाने वाले Official Transcript के शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों/नियोक्ता को दिये जाने वाले Official Transcript का शुल्क राशि 3000/– रूपये का निर्धारण के प्रस्ताव चर्चा करते हुए विद्या परिषद द्वारा 3000/–रू प्रति ट्रांस्क्रीप्ट के साथ साथ अतिरिक्त प्रति की मांग करने पर 500/–रू0 प्रत्येक अतिरिक्त प्रति, विद्यार्थी से लिए जाने का निर्णय करते हुए वित्तिय प्रभाव निहित होने के कारण वित्त समिति से अनुमोदित करवाने के निर्देश भी प्रदान किए गए।

57/13 विश्वविद्यालय द्वारा RSCIT (Rajasthan State Certificate of Information Technology) परीक्षा का डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण–पत्र दिये जाने प्रस्ताव अनुमादनार्थ।

RSCIT (Rajasthan State Certificate of Information Technology) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में प्रदान किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इसे लागू करने से पूर्व इसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित किए जाने का निर्णय किया गयाः–

1. कुलसचिव
2. परीक्षा नियंत्रक
3. श्री नीरज अरोडा, सहायक आचार्य (कंप्युटर विज्ञान)

57/14 बी0एड की छात्रा पुष्पा जैन स्कॉलर नं. 90/32297 रोल नं. 143352 के अभ्यास पाठ को आन्तरिक मूल्यांकन की श्रेणी में लिया जाकर आनुपातिक अंक दिये जाने की कार्यवाही सूचनार्थ।

बी0एड की छात्रा पुष्पा जैन स्कॉलर नं. 90/32297 रोल नं. 143352 को जुलाई–96 की परीक्षा में अभ्यास पाठ को आन्तरिक मूल्यांकन की श्रेणी में लिया जाकर परीक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ/वमखुविवि/परीक्षा/2013/61997 दिनांक 21.11.2017 की पुष्टि करते हुए निर्देश दिया कि उक्त कार्यवाही प्रकरण विशेष के संदर्भ में है अतः इसे भविष्य में उदाहरण बनाकर अन्य समप्रकृति के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जाए।

57/15 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रोविजनल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रोविजनल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट राशि 150/– रूपये का शुल्क लेकर दिये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

57/16 यूजीसी से प्राप्त पत्रांक D.O.No. F.1-3/2007(CCP-II) Dated 11.01.2016 एवं F.1-3/2007(CCP-II) Dated 23.04.2007 की अनुपालना में विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क लौटाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे कुलपति सचिवालय में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के क्रम में प्रस्ताव।

विद्या परिषद द्वारा छात्रों की परीक्षा फीस लौटाने के सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए इन्हें वित्त समिति से भी अनुमोदित करवाए जाने का निर्णय किया गयाः–

1. छात्र अंक सुधार हेतु आवेदन करता है तथा अयोग्य पाये जाने पर 100/– रू0 शुल्क प्रॉसेसिंग चार्ज के रूप में काट कर बकाया शुल्क वापस किया जायेगा।
2. छात्र परीक्षा परिणाम नहीं निकलने पर अग्रिम अंकतालिका हेतु या पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करता है तथा किसी कारणवश अयोग्य पाया जाता है तो 100/– रू0 शुल्क काटा जायेगा और बकाया शुल्क वापस किया जायेगा।
3. यदि छात्र ने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है तथा पुनर्मूल्यांकन का परिणाम नहीं आने से पहले परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराकर परीक्षा में सम्मिलित हो गया तो 100/– रू0 परीक्षा शुल्क काटा जायेगा और बकाया शुल्क वापस किया जायेगा।

57/17 यूजीसी से प्राप्त पत्रांक D.O.No. F.1-3/2007(CCP-II) Dated 11-01-2016 ,oa F.1-3/2007(CCP-II) Dated 23.04.2007 की अनुपालना में विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क लौटाने के सम्बन्धी प्रस्ताव।

विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क लौटाए जाने के निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए इन्हें भी वित्त समिति से अनुमोदित करवाए जाने का निर्णय किया गयाः–

1. मर्सी परीक्षा हेतु बिना अनुमति के शुल्क जमा करने वाले अयोग्य/दुबारा मर्सी परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर बकाया शुल्क लोटाने हेतु प्रस्ताव।
2. विद्यार्थियों को डिफॉल्टर्स परीक्षा के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन फीस जमा करने पर ऑफलाईन आवेदन की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर बकाया शुल्क लोटाने हेतु प्रस्ताव।
3. ऑफलाईन परीक्षा फार्म आवेदन करने पर विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर बकाया शुल्क लौटाने हेतु प्रस्ताव।

   उक्त निर्णय जून –2016 की परीक्षा से प्रभावी होगें।

प्रस्ताव संख्या 57/18 के तहत ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के लिए ग्रेस पास की कार्यवाही से पूर्व टेबिल ऐजेंडा पर चर्चा करवाकर निर्णय किए गए।

57/19(1) आर0के0सी0एल0 कार्यक्रम में पढाए जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन के सम्बन्ध में गठित समिति का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

आर0के0सी0एल0 कार्यक्रम में पढाए जाने वाले पाठ्यक्रम में नवाचारों को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में संयोजक कंप्युटर शिक्षा श्री नीरज अरोड़ा द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, सदन द्वारा किए गए संशोधनों को वर्तमान समय के अनुकूल बताते हुए आर0के0सी0एल0 के आर0एस0सी0आई0टी0 के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया गया।

57/19(2) राज्य सरकार द्वारा बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क का विश्वविद्यालय द्वारा वर्गीकरण किए जाने सम्बन्धी आदेश पुष्टि हेतु।
राज्य सरकार द्वारा बी.एड. कार्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) के लिए निर्धारित किए गए शुल्क को विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017–19 के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए वर्गीकृत करने बाबत् आदेश क्रमांक 626 दिनांक 20.09.2017 की पुष्टि की गई।

57/19(3) राज्यपाल सचिवालय के आदेश क्रमांक 6462 दिनांक 21.08.17 की पालना में विश्वविद्यालयों में परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव।

राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र के संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया इसके उपरांत सदन द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क निर्धारण के प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए इन्हें वित्त समिति से अनुमोदित करवाए जाने का निर्णय किया गया।

57/19(4) राज्यपाल सचिवालय के आदेश क्रमांक 6462 दिनांक 21.08.17 की पालना में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए देय मानदेय की अधिकतम सीमा निर्धारण का प्रस्ताव।

शिक्षकों को परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए देय मानदेय की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इसे वित्त समिति से भी अनुमोदित करवाए जाने का निर्णय किया गया ताकि संभावित आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान में भी वृद्वि किया जाना संभव हो सके।

57/19(5) राज्यपाल सचिवालय के आदेश क्रमांक 6462 दिनांक 21.08.17 की पालना में विश्वविद्यालयों में शिक्षक/परीक्षक को परीक्षा प्रश्न पत्र मय उत्तर कुंजी निर्माण के कार्य के लिए देय मानदेय का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि यदि कोई शिक्षक /परीक्षक द्वारा उत्तर कुंजी का निर्माण नहीं किया जाता है, तो उसे संशोधित दरें देय नहीं होंगी एवं पूर्व निर्धारित दर (बिना उत्तर कुंजी) ही देय होगी एवं अन्तर राशि का भुगतान कुंजी तैयार करने वाले शिक्षक को मानदेय के रूप में देय होगा। प्रस्ताव को वित्त समिति से भी अनुमोदित करवाने का भी निर्णय किया गया।

57/19(6) बी.ए./बी.एस.सी. अतिरिक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की अंकतालिका में उनके अतिरिक्त विषय का उल्लेख करने सम्बन्धी प्रस्ताव।
प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को अवगत करवाए जाने के उपरांत सदन द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

57/19(7) बी.ए./बी.एस.सी. अतिरिक्त पाठ्यक्रम में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में ऐसे संकाय से स्नातक की उपाधी प्राप्त की है जो वमखुविवि द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त विषय के मूल संकाय से भिन्न है, उनके प्रवेश और परीक्षा पर विचार करने और निर्देशन बाबत् प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के समस्त पहलूओं पर विचार विमर्श एवं परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः—

1. प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर, निदेशक, संकाय
2. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, परीक्षा नियंत्रक
3. डॉ आलोक चौहान, सहायक आचार्य, भूगोल

57/18 ग्यारहवें दीक्षांत समारोह हेतु ग्रेस पास का प्रस्ताव।

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के लिए ग्रेस पास से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्तावों का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया :—

1. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परीणाम दसवें दीक्षांत समारोह के बाद घोषित हुऐ हैं, उनमें सफल हुये छात्रों को उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने का प्रस्ताव।

2. दिसम्बर 2016 एवं जून 2017 तक सत्रान्त परीक्षाओं में सफल एवं शोध कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किये जाने हेतु दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन।

तत्पश्चात आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

2/1/18

(मुरलीधर प्रतिहार)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद